



कार्यालय मुख्य वनसंरक्षक बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर (छ.ग.)

सिंधी कॉलोनी, जरहाभाठा, बिलासपुर (छ.ग.) पिन कोड-495001

फोन : 07752-227624, फैक्स : 07752-221385 E-mail : ccf.bilaspur-cg@gov.in

क्रमांक/तक./ 2622

बिलासपुर, दिनांक 17-11-2020

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक

(भू-प्रबंध)

अटल नगर, नवा रायपुर, छत्तीसगढ़

विषय :-

Diversion Of Forest Land For Non- Forest Purpose Under Forest Conservation Act, 1980 Proposed For Chhal Opencast Seam III 6MTY (SUPPLEMENTARY PROPOSAL FOR DIVERSION OF 55.850 HA OF DEEMED FOREST LAND IN ADDITION TO EARLIRE PROPOSAL FOR DIVERSION OF 185.017 HA FOREST LAND PROPOSAL No FP/CG/MIN/16237/2015)-55.850 ha - Regarding

पंजीयन क्रमांक :- FP/CG/MIN/39334/2019 एवं FP/CG/MIN/16237/2015

- सन्दर्भ :- 1. आपका पत्र क्र./भू- प्रबंध/विविध/एल.एम-115-799/2083 दिनांक 02.07.2018 एवं 1158 दिनांक 13.05.2019
2. वनमण्डलाधिकारी धरमजयगढ़ वनमण्डल का पत्र क्र./माचि./1185 दिनांक 08.09.2020

—0—

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि संदर्भित पत्र में दिये गये निर्देशानुसार वनमण्डलाधिकारी धरमजयगढ़ के द्वारा SECL को छाल खुली खदान Seam III 6 MTY रकबा 185.017 हे. (संरक्षित वनभूमि 176.710 हे. एवं राजस्व वनभूमि 8.307 हे.) हेतु वनभूमि के गैर-वानिकी प्रकरण में अतिरिक्त क्षेत्र रकबा 55.850 हे. (Deemed Forest) का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। उक्त प्रकरण में 185.017 हे. का प्रस्ताव तैयार कर पूर्व कार्यालयीन पत्र क्रमांक/तक./2552 दिनांक 29.11.2017 में प्रेषित की गई थी एवं प्रकरण में वांछित कमियों की पूर्ति करते हुए प्रस्ताव पत्र क्र./636 दिनांक 28.03.2018 एवं 1119 दिनांक 27.06.2018 के द्वारा प्रेषित किया गया था। तत्पश्चात पत्र क्र./2304 दिनांक 18.07.2018 के द्वारा प्रस्ताव सीधे वनमण्डलाधिकारी धरमजयगढ़ को वापस प्रेषित किया गया था। वनमण्डलाधिकारी धरमजयगढ़ से प्राप्त 185.017 हे. के प्रस्ताव के अतिरिक्त 55.850 हे. का प्रस्ताव निम्नानुसार है -

क्र.	अभिलेख का विवरण	प्रस्ताव का विवरण	पृ.क्र.
1	आवेदक विभाग का मांग पत्र	प्रस्ताव संलग्न है।	1-10
2	प्रपत्र में रजिस्ट्रेशन कोड (वर्ष/पंजीयन क्रमांक)	संलग्न है।	11-13
3	वन क्षेत्र विवरण	संलग्न है।	14-15
4	गैर वनक्षेत्र विवरण	प्रकरण में प्रभावित गैर वनक्षेत्र राजस्व भूमि रकबा 1157.700 हे. का विवरण संलग्न है।	16-18
5	प्रत्यावर्तित हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र का सर्वे ऑफ इंडिया का मूल टोपोशीट 1:50000 स्केल पर	प्रकरण में प्रस्तावित वन एवं राजस्व वनक्षेत्रका सर्वे आफ इंडिया का टोपोशीट 1:50000 संलग्न है।	19-20

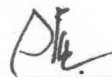
6	वन क्षेत्र का इन्डेक्स मैप	संलग्न है।	21-22
7	प्रपत्र-4 में प्रस्ताव	संलग्न है।	23-35
8	प्रोजेक्ट पर विस्तृत टीप	संलग्न है।	36-77
9	वैकल्पिक वृक्षारोपण राशि जमा करने का वचन पत्र (वह दर जो अंतिम रूप से भूमि प्रत्यावर्तन के समय लागू होगी देय होगी) नए यूनियन बैंक एवं कार्पोरेशन बैंक, नई दिल्ली के बचत खातों का विवरण संलग्न है।	प्रकरण में आवेदक संस्थान द्वारा प्रभावित हो रहे वनक्षेत्र के दुगुने क्षेत्र रकबा 114.245 हे. पर वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना की राशि जमा करने का वचन पत्र प्रस्तुत किया गया है। संलग्न है।	78-79
10	न्यूनतम वन क्षेत्र की उपयोगिता प्रमाण पत्र	प्रकरण में न्यूनतम वनक्षेत्र उपयोगिता का प्रमाण पत्र संलग्न है।	80-81
11	पर्यावरण संरक्षण स्वीकृत प्रमाण पत्र (जिन प्रकरण में लागू न हो उसके भारत सरकार का परिपत्र लगा कर उल्लेख करें) सिंचाई के प्रकरण में 10.000 हेक्टेयर तक में राज्य पर्यावरण प्रदूषण मंडल से स्वीकृति (भारत सरकार, पर्यावरण एवं मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 14/09/2006) इससे अधिक में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली से लिया जाना आवश्यक है।	प्रकरण में आवेदक संस्था एस.ई.सी.एस. छाल खुली खदान परियोजना (1 MTPA to 3 MTPA with a peak Production of 3.5 MTPA) के लिये भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली से MoEF Letter No. J-11015/1000/2007-IA. II (M) Dated 27.4.2010 के तहत पर्यावरण स्वीकृति लिया गया था। वर्तमान में SECL CHHAL OC Seam III (6 MTY) परियोजना के लिए पर्यावरण स्वीकृति लेने की कार्यवाही की जा रही है। विवरण संलग्न है।	82-101
12	वृक्ष विदोहन विवरण (प्रपत्र-अ एवं ब में)	प्रकरण में प्रस्तावित वनक्षेत्र रकबा 55.850 में 16000 प्रभावित है। वृक्ष विदोहन विवरण प्रपत्र-अ एवं ब संलग्न है।	102-106
13	कास्ट/बेनिफिट एनालिसिस	प्रकरण में प्रस्तावित क्षेत्र हेतु काष्ट बेनिफिट एनालिसिस संलग्न है।	107-110
14	—चयनित गैर वन क्षेत्र / निजी भूमि (पंचशाला खसरा की नकल, मानचित्र, सक्षम अधिकारी का हस्तांतरण आदेश) —राजस्व वन क्षेत्र (संलग्न प्रपत्र में अधिसूचना मय नक्शा प्रस्ताव तथा 3 प्रति में पृथक से वन संरक्षक के हस्ताक्षर एवं सील सहित आवेगा)	आवश्यक नहीं है।	111-112
15	गैर वन क्षेत्र के आसपास क्षेत्र का नक्शा	आवश्यक नहीं है।	113-114
16	स्थल विशेष वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना (शासन द्वारा अनुमोदित दरो पर 25 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि के साथ 10 वर्षीय मय उपचार मानचित्र, अक्षांश, देशांश, प्रजाति विवरण सहित) जो असिंचित क्षेत्र चयनित होगा उसका वनमण्डलाधिकारी का प्रमाण पत्र पृथक से आवेगा।	स्थल विशेष दूगने बिगड़े वनक्षेत्र का वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना 114.245 हे. का संलग्न है।	115-608
17	वृक्षारोपण क्षेत्र उपयुक्तता प्रमाण पत्र	वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित क्षेत्र का उपयुक्तता प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है।	609-624

18	अधिनियम उल्लंघन अंतर्गत कार्यों का विवरण	प्रकरण में वनसंरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन नहीं होने का प्रमाण पत्र संलग्न है।	625-626
19	अधिनियम उल्लंघन के लिए जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों का विवरण	प्रकरण में वनसंरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन नहीं होने का प्रमाण पत्र संलग्न है।	627-628
20	अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध प्रस्तावित कार्यावाही	प्रकरण में वनसंरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन नहीं होने का प्रमाण पत्र संलग्न है।	629-630
21	वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु गैर वनभूमि अनुपलब्धता हेतु मुख्य सचिव का प्रमाण पत्र	प्रकरण में आवेदक संस्थान द्वारा वैकल्पिक हेतु गैर वनभूमि अनुपलब्धता प्रमाण पत्र प्रकरण में आवश्यक नहीं होने संबंधी पत्र प्रस्तुत किया गया है।	631-639
22	कैचमेंट ट्रीटमेंट प्लान	आवश्यक नहीं है।	640-641
23	रिक्लमेशन प्लान	संलग्न है।	642-662
24	माईनिंग प्लान IBM नागपुर द्वारा अनुमोदित (केवल खनन प्रकरण में)	SECLCHHAL OC Seam III (6MTY) का प्लान भारत सरकार अधिकृत कंपनी CMPDIL के द्वारा अनुमोदित किया गया है। अतः IBM नागपुर द्वारा अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। विवरण संलग्न है।	663-671
25	व्यवस्थापन प्लान	संलग्न है।	672-691
26	वनअधिकारियों का निरीक्षण प्रतिवेदन मय स्पष्ट अनुशंसा, नाम, पदनाम सील एवं दिनांक सहित (प्रपत्र I से IV तक) प्रपत्र मुख्यालय से भरा जावेगा	प्रस्तावित परियोजना में एस.ई.सी.एस. छाल खुली खदान परियोजना के संबंध में वनमण्डलाधिकारी धरमजयगढ़ द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदन संलग्न है।	692-700
27	ऐतिहासिक स्थल का प्रमाण पत्र	प्रस्तावित वन क्षेत्र पर ऐतिहासिक महत्व का स्थल नहीं है। इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न है।	701-702
28	संबंधित ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र (छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग का पत्र क्रमांक/एफ-5-20/2007/10-2 दिनांक 12/01/2010)	भारत सरकार पत्र क्र./ F.NO. 11-43/2013-FC दिनांक 26.02.2019 में दिये गये निर्देश के परिपालन में प्रथम चरण स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों के पालन के समय प्रस्तुत किया जायेगा।	703-706
29	जिले की कुल वन भूमि (रकबा हे. में)	प्रस्ताव में प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित प्रकरण में जिले की कुल वन भूमि की जानकारी संलग्न है।	707-708
30	व.स.अ.-1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों में प्रभावित हुई वन भूमि रकबा हे. में	वन संरक्षण अधिनियम 1980 अन्तर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों में प्रभावित हुई वन भूमि की जानकारी संलग्न है।	709-710
31	व.स.अ.-1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों में इसी श्रेणी की कुल प्रत्यावर्तन वन भूमि रकबा हे. में	प्रस्तावित परियोजना में वन संरक्षण अधिनियम 1980 अन्तर्गत स्वीकृत प्रकरणों में इसी श्रेणी की कुल प्रत्यावर्तित वन भूमि की जानकारी संलग्न है।	711-712

32	प्रस्तावित क्षेत्र के 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी अभ्यारण्य या हाथी कारीडोर स्थित है अथवा प्रस्तावित है या अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह/मूर्ति न होने की जानकारी (छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग कापत्र क्रमांक/एफ-5-20/2007/10-2 दिनांक 12/01/2010)	प्रस्तावित क्षेत्र के 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान ,वन्यप्राणी अभ्यारण्य या हाथी कारीडोर स्थित है अथवा प्रस्तावित है या अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह/मूर्ति न होने की जानकारी संलग्न है।	713-714
33	15 कि.मी. परिधि के नक्शे में खनन हेतु प्रस्तावित स्थलों का चिन्हांकन (केवल खनन प्रकरणों में)	संलग्न है।	715-734
34	वन अधिकार मान्यता पत्र वितरण की सूची एवं कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्र (यदि निरंक हो तो भी प्रमाणित होगा),(भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ,नई दिल्ली का पत्र क्रमांक/ F.No.11-9/1998-F.No दिनांक 11-9/ 1998-FC दिनांक 3/8/2009)।	भारत सरकार पत्र क्र./ F.NO. 11-43/2013-FC दिनांक 26.02.2019 में दिये गये निर्देश के परिपालन में प्रथम चरण स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों के पालन के समय प्रस्तुत किया जायेगा।	735-738
35	राजस्व वन भूमि हेतु कलेक्टर का प्रमाण पत्र (कार्यालयीन पत्र क्रमांक भू -प्र/1317 दिनांक 25/05/2007)	संलग्न है।	739-742
36	माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार प्रत्याशा मूल्य जमा करने का वचन पत्र।	प्रस्तावित परियोजना में आवेदक संस्थान द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार प्रत्याशा मूल्य जमा करने का वचन पत्र दिया गया है संलग्न है।	743-744
37	Clearance under FC Act, 1980 : Deposition of funds with the Ad- hoc CAMPA Remittances to precede 2Nd stage clearance. (भारत सरकार , पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल का पत्र क्रमांक 7-1/2004 (CAMPA) Metting 3068 दिनांक 12-05-2011) BHO/357 Meeting 3068 दिनांक 12/05/2011	प्रस्तावित परियोजना में आवेदक संस्थान द्वारा प्रथम चरण की स्वीकृति पश्चात् वन मण्डल के मांग अनुसार समस्त राशि राज्य कैम्पा खाते में जमा करने के लिए वचन बद्ध होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। संलग्न है।	745-746
38	' A detailed note on Soil Productivity or the lack it" .(भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय , क्षेत्रीय कार्यालय , भोपाल का पत्र क्रमांक/6-MPC013/2008-BHO/ 357 दिनांक 24/02/2010)	प्रस्तावित परियोजना में A detailed note on Soil Productivity or the lack of it की जानकारी प्रस्तुत की गई है संलग्न है।	747-748
39	परियोजना की किसी भी प्रकार की भूमि में कार्य प्रारंभ न करने का प्रमाण पत्र। (भारत सरकार , पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र क्रमांक F No. 2-1/2003-FC दिनांक 06/01/2011)	प्रस्तावित परियोजना में किसी प्रकार का कार्य प्रारंभ न करने की जानकारी प्रस्तुत की गई है संलग्न है।	749-750
40	Diversion of large area (more then 500 ha.) of forest land for mining and other non forestry purpose under the Forest (Conservation) Act 1980- stipulation of additional condition (The user agency shall esablish and operate a Vocational Training Institute)	प्रस्तावित परियोजना में कुल वन भूमि रकबा 55.850 हे. प्रभावित हो रहा है। 500 हे. से अधिक उत्खनन वाले शर्त प्रस्तावित प्रकरण में लागू नहीं होते है।	751-752

	(भारत सरकार ,पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ,नई दिल्ली का पत्र क्रमांक FNo.11-9/1998-FCदिनांक 04/01/2011)		
	राज्य शासन से संबंधित अभिलेख		
41	पंजीयन क्रमांक-पंजीयन शुल्क एवं प्रोसेसिंग शुल्क का विवरण (छत्तीसगढ़ शासन ,वन विभाग का पत्र क्रमांक/एफ-7-22/2009/10-2 दिनांक 31/07/2009)	प्रस्ताव में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) रायपुर द्वारा पंजीयन क्रमांकFP/ CG/ MIN/ 39334/2019 आबंटित किया गया है। आवेदक द्वारा जमा किये गये पंजीयन शुल्क रु. 6000/- एवं प्रोसेसिंग रु. 46000/- कुल राशि 52000/-जमा कराये गये है जिसे वनमण्डलाधिकारी के पी.डी. खाते में जमा किया गया है।	753-756
42	वन्य प्राणी परियोजना पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) का अभिमत (विशेषकर खनन प्रकरणों में)	वन्य प्राणी परियोजना संलग्न है।	757-758
43	विद्युत लाईन से संबंधित प्रकरणों में एक स्थल से दूसरे स्थल तक ले जाने का मानचित्र तथा तीन विकल्प में न्यूनतम प्रभावी वन क्षेत्र का विवरण (भारत सरकार , क्षेत्रीय कार्यलय, भोपाल का पत्र क्रमांक 6 -CHC 022/ 2010 . BHO/ 934 दिनांक24/05/2010)	आवश्यक नहीं है।	759-760
44	प्रस्ताव में अन्य (Misc) कमियों का विवरण	आवेदनकर्ता संस्थान SECL CHHAL OC Seam III Project (6MTY) द्वारा धरमजयगढ़ वनमण्डल के छाल एवं धरमजयगढ़ परिक्षेत्र अन्तर्गत वन संरक्षण अधिनियम 1980 अन्तर्गत छाल खुली खदान परियोजना हेतु रकबा 55.850 हे. के लिए निर्धारित चेक लिस्ट अनुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। प्रस्ताव में संस्थान द्वारा अतिरिक्त जानकारी भी प्रस्तुत किया गया है,जो कि संलग्न है।	761-812

संलग्न :- प्रस्ताव 04 प्रतियों में।


मुख्य वनसंरक्षक

बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर
/बिलासपुर, दिनांक : 17-11-2020

पृ. क्र./तक./2020/2623

प्रतिलिपि :-

1. वनमण्डलाधिकारी धरमजयगढ़ वनमण्डल, धरमजयगढ़ की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
2. उप महाप्रबंधक एस.ई.सी.एल. छाल उपक्षेत्र नवापारा,छाल जिला रायगढ़ छ.ग. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


मुख्य वनसंरक्षक
बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर

मुख्य वनसंरक्षक अधिनियम, 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव
(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)

भाग-3

(संबंधित वनसंरक्षक द्वारा भरा जाना है)

14. स्थल जहां की वन भूमि शामिल की गई है क्या इसका संबंधित मुख्य वनसंरक्षक ने निरीक्षण किया है। (हाँ/नहीं) यदि हाँ तो निरीक्षण की तारीख और किए गए प्रक्षेपों को निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।

आवेदनकर्ता उप महाप्रबंधक, साउथ ईस्टर्न कोल फिल्ड्स लिमिटेड, छाल उपक्षेत्र नवापारा, छाल जिला रायगढ़, द्वारा रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ वनमण्डल में राजस्व वन 55.850 हे., आवेदित वनभूमि का स्थल निरीक्षण दिनांक 24.09.2020 को किया गया है।

15. क्या संबंधित मुख्य वनसंरक्षक भाग (ख) में दी गई सूचना और उप वनसंरक्षक के सुझावों से सहमत है।

हाँ /

16. प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में संबंधित मुख्य वनसंरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें।

प्रस्तावित छाल ओपन कास्ट माइनिंग साइट हेतु चयनित 55.850 हे. Deemed Forest का स्थल निरीक्षण दिनांक 24.09.2020 को एस.ई.सी.एल. के अधिकारियों के साथ संयुक्त रूप से किया गया उक्त राजस्व वनक्षेत्र की श्रेणी में Classified है। उक्त राजस्व वनक्षेत्र में वर्ष 2003-04 में मनरेगा योजना के अंतर्गत सॉगोन रोपण कार्य किया गया था। परन्तु रोपण Successful नहीं है परन्तु साल का अच्छा Established Young Crop है, इसके साथ ही साजा, धावड़ा, तिन्सा, महुआ, आंवला तथा चार प्रजाति मुख्य Crop के रूप में पायी गई है, वन सघनता 0.6 से 0.7 के मध्य है। क्षेत्र Almost flat है, Mining Plan के अनुसार उक्त क्षेत्र माइनिंग के लिए उपयोग करने की योजना है। अतः पारिस्थितिक तंत्र को पुनर्स्थापित करने के उद्देश्य से क्षेत्र के विदोहन के पश्चात् Top Soil जो मुख्यतः साल प्रजाति को promote कर रही है, Soil एवं अन्य Debris पर पुनः साल के साथ Stock में उपलब्ध स्थानीय प्रजाति जैसे - साजा, धावड़ा, महुआ, चार इत्यादि प्रजाति का रोपण प्रस्तावित हो तथा backfill को पुनः वर्तमान वनक्षेत्र के रूप में स्थापित किये जाने पर वन्यप्राणी या अन्य पारिस्थितिकीय घटकों पर विपरीत प्रभाव नहीं होगा। इस क्षेत्र से होकर Perennial नाला इत्यादि नहीं हैं। अतः वन एवं वन्य प्राणियों पर होने वाले विपरीत प्रभावों को कम करते हुए वर्णित सुझाव के अनुसार Deemed forest site का प्रस्ताव प्रेषित किया जा सकता है। इसके साथ ही प्रस्तावित खदान के 10 किमी. परिधी अंतर्गत तेन्दुआ, भालू तथा अन्य वन्यप्राणियों का विचरण होता है, अतः उक्त क्षेत्र में हाथी, भालू एवं अन्य वन्यप्राणियों के संवर्धन हेतु वन्यप्राणी योजना तैयार कर क्रियान्वयन किया जाना है, प्रस्तावित खदान क्षेत्र में जल संवर्धन कार्य विशेष रूप से किया जाना आवश्यक है एवं इन क्षेत्रों में वन्यप्राणी मानिट्रिंग हेतु वन्यप्राणी सुरक्षा मानिट्रिंग व्यवस्था लागू करना आवश्यकता है, यह कार्य वन्यप्राणी योजना अंतर्गत प्रावधानित कर क्रियान्वयन किया जाना प्रस्तावित है।


अनिल सोनी, (भा.व.से.)

मुख्य वन संरक्षक

बिलासपुर वृत्त बिलासपुर

